कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-04.07.2026

□थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा गोवध के मुकदमे में वांछित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त को बिहार राज्य से किया गया गया गिरफ्तार

घटना-

दिनांक-28.08.2024 को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सिंधीताली पुल के पास चेकिंग की जा रही थी कि 01 पिकअप वाहन चालक चेकिंग होता देख कुछ दूर पहले ही वाहन को खड़ा कर मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम द्वारा उक्त पिकअप वाहन को चेक किया गया तो पिकअप में लदे 06 राशि गोवंश बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 202/2024, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई।

कार्यवाही-

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर घनश्याम शुक्ला के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.07.2026 को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2024, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वांछित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त विजय कुमार गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी सरपनी वार्ड नं. 11, हाटा, थाना चैनपुर, जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार को स्थानीय पुलिस के सहयोग से श्री राम वस्त्रालय, जनपद रोहतास (बिहार) के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.विजय कुमार गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी सरपनी वार्ड नं. 11, हाटा, थाना चैनपुर, जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 202/2024, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-04.07.2026

□मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

□गिरफ्तार अभियुक्तो के पास से (कुल शराब 16.2 लीटर) 54000/- रुपये का शराब बरामद

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अपराध व अवैध शराब के अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा वीआईपी गेट पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति ओला स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP65MT7990 से उतरकर पीठू बैग में अवैध अंग्रेजी शराब लेकर पार्सल गेट के रास्ते रेलवे स्टेशन के अंदर होकर बिहार जाने की फिराक में हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा पार्सल गेट के आगे बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर तीनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से अलग-अलग पीठू बैगों की तलाशी लेने पर प्रत्येक बैग से 30-30 पाउच 8 पीएम गोल्ड अंग्रेजी शराब (प्रत्येक पाउच 180 एमएल) बरामद हुई। इस प्रकार कुल 90 पाउच (कुल मात्रा 16.2 लीटर) अंग्रेजी शराब बरामद की गई।पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वे लोग ओला स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP65MT7990 से उक्त शराब लेकर मुगलसराय रेलवे स्टेशन आए थे तथा पार्सल गेट की तरफ से स्टेशन के अंदर जाने की तैयारी में थे। उन्होंने यह भी बताया कि वे मुगलसराय से शराब खरीदकर बिहार ले जाते हैं, जहां उसे अधिक कीमत पर बेचकर अवैध लाभ अर्जित करते हैं तथा उसी से अपना खर्च चलाते हैं।अभियुक्तों के कब्जे से तीनों के अलग-अलग पीठू बैगों की तलाशी लेने पर प्रत्येक बैग से 30-30 पाउच 8 पीएम गोल्ड अंग्रेजी शराब (प्रत्येक पाउच 180 एमएल) बरामद हुई। इस प्रकार कुल 90 पाउच (कुल मात्रा 16.2 लीटर) अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे मुगलसराय से शराब खरीदकर बिहार ले जाकर अधिक मूल्य पर बेचते हैं तथा उससे होने वाले लाभ से अपना खर्च चलाते हैं। अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 10.55 बजे दिनांक 04.07.26 को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओ में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रीम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता अभियुक्तगण-</u>

1 . आर्यन राज पुत्र अजय सिंह निवासी ग्राम सुखनर, थाना सिरदल्ला, जनपद नवादा (बिहार) उम्र करीब 21 वर्ष

2 . राजू कुमार पुत्र मनोज प्रसाद निवासी बरियो, थाना नारदीगंज, जनपद नवादा (बिहार) उम्र करीब 19 वर्ष

3 . राजीव रंजन पुत्र सतीश कुमार निवासी गोपालपुर, थाना नेमदारगंज, जनपद नवादा (बिहार) उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 322/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगीः-

8 पीएम गोल्ड अंग्रेजी शराब के 90 पाउच, जिसकी कुल मात्रा 16.2 लीटर